Mobile court

		me court		
SUMMARY	TRIAL UNDER SECTION:	263 THE CRIMINAL	_PROCEDURE CODE	1998
IN THE	COURT OF	J.M.F.C. Goha	d, DIST BHIND (M.P)	
10-	1	गदरा	port madeon	
Case No 9.2	117	Camplaint or rep	port madeon	**********
	वायिक माजन्दर	7 9000		
Name and address	ss of the Completnant	37733		***********
**************	***************************************	3	*************************	*********
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **				
AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Name , parentage,	caste and address of ac	:cused	
200 Autom		X-7- 22/	THE THE	12 21/15
A 1150 GA	उप्त वार्टालं र	12 24-22 G	गाल 1न वाउ गर	12-110
	*			
			W	
			•	
				* P
		8 11 11 11		
	The offence, complainant o	f, and date of, its alleg	ed commission	
			9.0	
31	ापने दिनांक 23.09.	17 को समय	लगभग 🗀 ∽ बजे	ा, स्थान
PROPERTY COL	पदा अंतर्गत शासा है	गिटट में	वाहन	2 0
	ापने दिनांक 23.03. (18) अंतर्गत थाना है 726 को बिना पर्मित	of eral on	र श्रेल्यान के च	लासा और
0 P 2 0 B 6 0	1.4.6 61 19-11 4.3.10	C-900 - 91 (1) - 92		char our
इस प्रकार आपन	ने ऐसा कृत्य किया है ज	गा कि माटर व्हाकल	ि एकट का धारा	
66 193	2A MY ACT	के तहत	दण्डनीय अपराध ह	आर इस
न्यायालय के संज्ञा	न में आता है।			
Alakia a nan	क्या आपको उक्त अप	ग्रध स्तीकार है या प्रति	रक्षा चाहते हो।	* **
- V	dai aliani oan aia	that faithful a an ann		
	%			
w s s			Judi cial Magis	and the Clas
		J d ble executionsto	on (If any)Cohadrastt.I	3 mnd (hera)
	The plea of the accus	ed and his examination		
				स्ताइ अग्रिंद
अपराध रवे।	ळ्या स्वीकार है।		427	
	THE TO BE SEEN			
			///	/
				cen
	2		W. AR. C	The second
Flant!	210115		Judicial Magistra	First Class
			Gohad disna Bl	aind (M.P.)
en de la companya de	and the second s	Homeon of Access to the control of t	The state of the s	
		1 2.45 -1 205 -1	The same particular to	

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय// (आज दिनांक 23.03:17. को घोषित)

आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की 01. धारा , 66/192 A MV.Act दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी अपियोश्। अ० वान्यालगाँ उम् उ नि॰ वर्डनः। २ ओहर् को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 A 102 Vact के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए क्रमषः राशि रूपये कुल हो हिजार रिपए का (2000) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दषा में अभियुक्त को 10 दिवस की 03. अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे। जप्तषुदा सम्पत्ति वाहन क० १० १२ ३० ८८ ० ७७ १ वर्ष उसके पंजीकृत खामी को लौटाया जाये।

> मेरे निर्देशन पर टंकित Judicial Manufale Eirst Class Gonad distr. Bhind (M.P.)